राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण

संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका | समाचार संदर्भ: 21 मई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

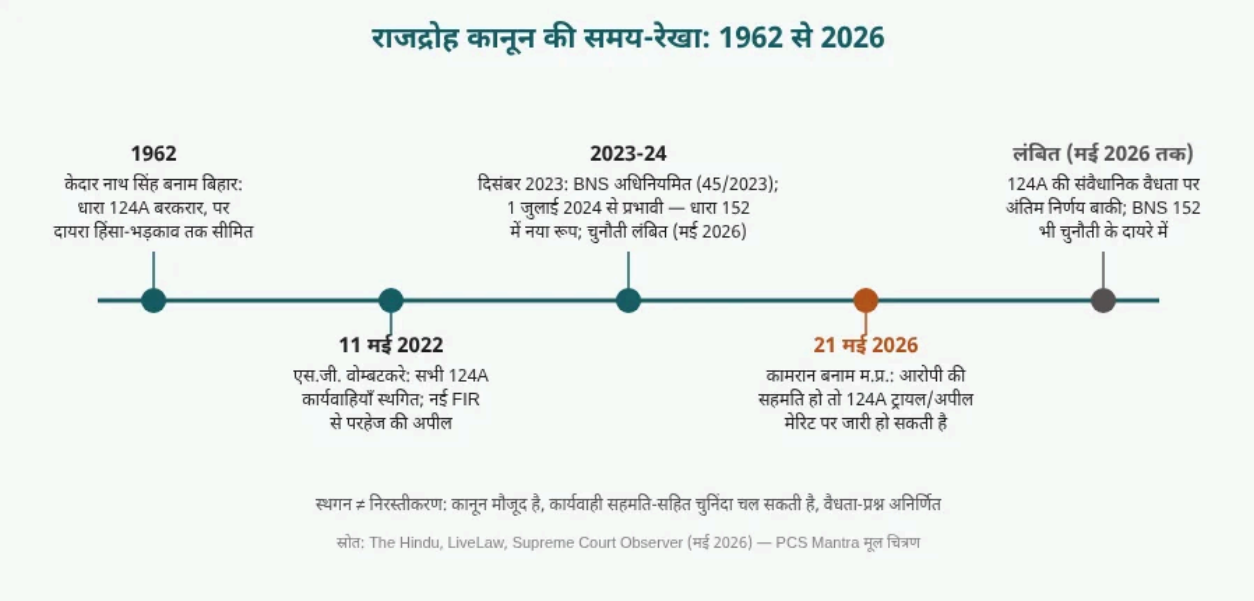
चार साल पहले राजद्रोह के मुकदमों पर लगाई गई रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2026 को स्पष्ट किया कि जहाँ आरोपी को आपत्ति न हो, वहाँ अदालतें भारतीय दंड संहिता की धारा 124A से जुड़े ट्रायल, अपील और अन्य कार्यवाही मेरिट पर चला सकती हैं। संदेश दोतरफा है: 2022 की सुरक्षात्मक रोक आरोपी के लिए ढाल है, बेड़ी नहीं; पर कानून की संवैधानिक वैधता का मूल सवाल इस स्पष्टीकरण से हल नहीं हुआ।

खबरों में क्यों

21 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की तीन-न्यायाधीश बेंच ने कामरान बनाम मध्यप्रदेश राज्य (डायरी सं. 16320/2026) में यह स्पष्टीकरण दिया। याचिकाकर्ता 17 वर्षों से भोपाल की केंद्रीय जेल में बंद है; सत्र न्यायालय ने 27 फरवरी 2017 को उसे आईपीसी की धाराएँ 122, 124A, 153A, गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) और आयुध अधिनियम के तहत उम्रकैद सुनाई थी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उसकी अपील 2022 के अंतरिम आदेश के चलते लटकी रही — हाईकोर्ट 124A वाली कार्यवाही सुनने में हिचकता रहा। बेंच ने एस.जी. वोम्बटकरे बनाम भारत संघ के 11 मई 2022 के अंतरिम आदेश के पैरा 8(d) का स्पष्टीकरण दिया कि जहाँ आरोपी को कार्यवाही जारी रखने से आपत्ति न हो, वहाँ अदालतों के लिए कोई बाधा नहीं; साथ ही हाईकोर्ट से अपील मेरिट पर तुरंत सुनने का अनुरोध किया। मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

धारा 124A और 2022 का अंतरिम आदेश: पृष्ठभूमि

राजद्रोह का अपराध (धारा 124A आईपीसी) सरकार के प्रति घृणा या अवज्ञा भड़काने पर आजीवन कारावास तक की सज़ा देता है। 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा पर दायरा सीमित किया — हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था भड़काने की प्रवृत्ति के बिना केवल आलोचना अपराध नहीं। 11 मई 2022 को एस.जी. वोम्बटकरे में तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की बेंच ने — केंद्र के 'पुनर्विचार' वादे के बीच — धारा 124A की सभी लंबित कार्यवाहियाँ स्थगित कर दीं और केंद्र-राज्यों से नई FIR, जाँच और बलपूर्वक कार्रवाई से परहेज की 'आशा और अपेक्षा' जताई; आरोपियों को राहत हेतु अदालत जाने की छूट दी; अन्य धाराओं की कार्यवाही तभी चले जब आरोपी को क्षति न हो। 21 मई 2026 के स्पष्टीकरण ने इनमें से कुछ भी बदला नहीं है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य

बेंच और आदेश का सार: 21 मई 2026; मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची, न्यायमूर्ति पांचोली। आदेश: 'जहाँ आरोपी को 124A के तहत आरोपपत्रित ट्रायल, अपील या अन्य कार्यवाही जारी रहने से आपत्ति नहीं है, वहाँ अदालतें ऐसे मामले मेरिट और विधि के अनुसार तय कर सकती हैं' (The Hindu/LiveLaw की रिपोर्ट से आदेश का मूल पाठ)।

मूल वाद के तथ्य: याचिकाकर्ता कामरान 17 वर्ष से कारागार में; 2017 में सत्र न्यायालय से उम्रकैद (124A, 122, 153A IPC + UAPA + आयुध अधिनियम); अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की द्विसदस्यीय बेंच के समक्ष लंबित; वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस ने पैरवी की (LiveLaw)।

2022 आदेश की तीन सुरक्षाएँ बरकरार: नई FIR/जाँच/बलपूर्वक कार्रवाई से परहेज की अपील; आरोपी को राहत माँगने की छूट; सहमति न देने वालों की कार्यवाही स्थगित ही रहेगी — 21 मई ने कोई संशोधन नहीं किया (The Hindu विश्लेषण, 29 मई)।

मूल संवैधानिक सवाल लंबित: धारा 124A की वैधता पर वोम्बटकरे याचिकाएँ मई 2026 तक विचाराधीन थीं; 2023 में बड़ी बेंच को भेजने का मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) आने के बाद टला; BNS की धारा 152 भी 'राजद्रोह का नया रूप' बताकर चुनौती के दायरे में थी (Supreme Court Observer, मई 2026)।

फरवरी 2026 की मौखिक टिप्पणी: मुख्य न्यायमूर्ति कांत ने मौखिक रूप से कहा था कि पुरानी IPC के राजद्रोह प्रावधान की सरकारी समीक्षा संसद को BNS में समान प्रावधान (धारा 152) लाने से नहीं रोक सकती — विधायिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है (The Hindu)।

यह स्पष्टीकरण 'राजद्रोह की वापसी' क्यों नहीं, फिर भी चर्चा में क्यों है?

ढाल बनाम बेड़ी: 2022 की रोक राज्य को कानून के इस्तेमाल से रोकने के लिए थी, आरोपियों को अनिश्चित कैद में बाँधने के लिए नहीं। Supreme Court Observer के शब्दों में स्पष्टीकरण 2022 के आदेश को 'ढाल' मानता है, 'बेड़ी' नहीं — सहमति आरोपी को अपनी अपील सुनवाने की एजेंसी लौटाती है।

समानता की नई चुनौती: The Hindu का विश्लेषण: सहमति देने वालों के मुकदमे चलेंगे, बाकी लंबित रहेंगे — एक ही धारा के तहत दो वर्ग बनेंगे। वह भी तब, जब धारा की वैधता ही अनिर्णित हो; आरोपी अनिश्चित कानून के ट्रायल और अनिश्चित प्रतीक्षा के बीच फँसे हैं।

प्रक्रियागत सवाल: स्पष्टीकरण एक असंबद्ध वाद (कामरान) में आया, बिना वोम्बटकरे याचिकाकर्ताओं को सुने। यदि एक आरोपी सहमत हो और सह-आरोपी न हो, तो निचली अदालतों के सामने कार्यवाही बँटने की व्यावहारिक समस्या खड़ी होगी।

शीघ्र न्याय बनाम संवैधानिक निलंबन: 17 वर्ष की कैद दिखाती है कि सुरक्षात्मक स्थगन भी विलंब बनकर न्याय का अधिकार छीन सकता है। बेंच का निर्णय न्याय-प्रणाली के बोझ और आरोपी के closure को ध्यान में रखकर आया; पर सच्चा समाधान स्थगित स्पष्टीकरण नहीं, मूल वैधता का निर्णय है।

विश्लेषण और आगे की राह

21 मई का आदेश एक प्रक्रियागत सुधार है, राजद्रोह कानून का पुनरुद्धार नहीं — 124A न पूरी तरह जीवित है, न मृत: 'स्थगित, विवादित और अब आरोपी की पहल पर चुनिंदा रूप से चलाया जा सकने वाला' (SCO)। इसके बाद (मई 2026 के संदर्भ में) तीन बिंदु देखने योग्य थे: (1) वोम्बटकरे याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई — 124A की वैधता; (2) BNS धारा 152 की चुनौती — क्या नया कानून पुराने दोषों को दोहराता है; (3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में कामरान की अपील — स्पष्टीकरण की पहली कसौटी। मेंस के लिए मूल प्रश्न: न्यायपालिका कैसे तालमेल बैठाए — राज्य की सुरक्षा-चिंता, नागरिक की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता, और कैदी का शीघ्र न्याय का अधिकार।

अवधारणा में अंतर

स्थगन (abeyance) का अर्थ कानून मौजूद है पर कार्यवाही रुकी है; निरस्तीकरण (striking down) में कानून ही समाप्त होता है — 124A के साथ न तो यह हुआ, न वैधता बहाल हुई। सीमित व्याख्या (reading down) वह उपाय है जो केदार नाथ (1962) में हुआ — कानून बचा, दायरा सिकुड़ा। साथ ही: 124A IPC पुराना प्रावधान है (IPC अब निरस्त), जबकि BNS धारा 152 नया, स्वतंत्र प्रावधान — दोनों की वैधता अलग-अलग लड़ी जा रही थी (मई 2026 तक)।

मेंस दृष्टि

GS-II: भारतीय संविधान (अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम 19(2)), मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका, शासन। उपयोगी संदर्भ: अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, कानून के औपनिवेशिक उत्तराधिकार, न्यायिक विलंब और अंडरट्रायल संकट, विधायिका-न्यायपालिका संतुलन। निष्कर्ष में 'कानून की निलंबित स्थिति का विकल्प अंतिम निर्णय है' रेखांकित करें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

2022 की स्थगन व्यवस्था और 2026 के सहमति-आधारित स्पष्टीकरण के बीच राजद्रोह कानून की वर्तमान विधिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। क्या यह व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शीघ्र न्याय, दोनों के हितों का संतुलन साध पाती है?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 2022 के अंतरिम संरक्षण और 21 मई 2026 के आरोपी की सहमति वाले प्रक्रियागत स्पष्टीकरण को अलग रखें।

मुख्य भाग में: 2022 अंतरिम आदेश की तीन सुरक्षाएँ; 2026 स्पष्टीकरण का सार और कारण (17 वर्ष कैद); सहमति-आधारित विभाजन की समानता-चुनौती; वैधता-लंबितता और BNS 152।

निष्कर्ष में: आरोपी की सहमति को वास्तविक चुनाव और शीघ्र न्याय से जोड़ें; सुरक्षात्मक रोक को अनचाही देरी का कारण न बनने दें। प्रक्रियागत अनुमति को धारा 124A की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय न लिखें; पुराने IPC मामलों तथा स्वतंत्र BNS धारा 152 की चुनौती का भेद बनाए रखें।

स्रोत

- The Hindu: राजद्रोह ट्रायल आगे बढ़ सकते हैं यदि आरोपी सहमत हो — SC, 21 मई 2026
- LiveLaw: 124A मामलों पर SC का स्पष्टीकरण (आदेश का मूल पाठ सहित), 21 मई 2026
- Supreme Court Observer: Sedition in abeyance, but not in limbo, 22 मई 2026
- The Hindu विश्लेषण: सहमति से बँधी राजद्रोह की वापसी, 29 मई 2026

जाँच-टिप्पणी: कामरान वाद का आदेश-पत्र (sci.gov.in PDF) हमने मूल रूप से नहीं पढ़ा; आदेश के उद्धरण The Hindu और LiveLaw की 21 मई की रिपोर्टों में छपे शब्दशः पाठ से लिए गए हैं। वाद विवरण (डायरी सं. 16320/2026, बेंच, पैरा 8(d)) इन्हीं दो स्रोतों और SCI कॉज़-लिस्ट से मिलाए गए।

यह भी पढ़ें: प्रदर्शन का स्थान: अधिकार और नियमन की कसौटी।

याद रखें: कानून को अनिश्चितकाल निलंबित रखना समाधान नहीं — न आरोपी के लिए, न अभिव्यक्ति के लिए; 124A की किस्मत वैधता-सुनवाई ही तय करेगी।